कार्यालय जिला कलक्टर भरतपुर

अपील/RTI/09/2024

श्री बालकृष्ण यादव निवासी 2 टी 11, हाउसिंग बोर्ड, (कृष्णा नगर) भरतपुर मो.नं. 9461700766

.....अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अति० जिला कलक्टर (प्रशासन) भरतपुर

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 28.02.2024

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट श्री बालकृष्ण यादव निवासी 2 टी 11, हाउसिंग बोर्ड, (कृष्णा नगर) भरतपुर की अपील लोक सूचना अधिकारी अति० जिला कलक्टर (प्रशासन) भरतपुर के विरूद्ध इस आशय की प्राप्त हुई है कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। न्यायालय के पत्रांक कोर्ट/24/86 दिनांक 13.02.2024 से लोक सूचना अधिकारी से अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध कराने/नहीं कराने की रिपोर्ट तलब की गई। चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी अति० जिला कलक्टर (प्रशासन) भरतपुर (प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलै० भरतपुर) से सम्बन्धित नहीं होने के कारण कार्यालय/शाखा के पत्रांक सामान्य/RTI (1)/2024/10488 दिनांक 05.01.2024 से RTI एक्ट 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत मूल प्रार्थना पत्र, प्रभारी अधिकारी भू० अभिलेख अनुभाग कलै० भरतपुर को प्रतिप्रेषित किया गया।

अपील के सन्दर्भ में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (भू०अ०) कलक्ट्रेट भरतपुर के पत्रांक एल.आर./रिकॉर्ड/आर.टी.आई./9/2023/

2......

जिला कलक्टर
भरतपुर

1306 दिनांक 27.02.2024 से जबाब प्राप्त हुआ, जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। सहायक लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब का अवलोकन किया गया। सहायक लोक सूचना अधिकारी ने अपने जबाव में अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना के सन्दर्भ में प्रार्थी द्वारा पूर्ण विवरण अंकित नहीं करने के कारण कार्यालय के पत्रांक एल.आर./रिकॉर्ड/आरटीआई/09/2023/713 दिनांक 05.02.2024 से प्रार्थी को लिखा गया था कि :–

> ''..........आवेदन में कथित शिकायत में कथित जॉच रिपोर्ट की प्रति मय दस्तावेजात एवं कथित पत्र दिनांक 16.01.2012 हस्ताक्षरित दिनांक 23.01.2012 व दिनांक 28.02.2011 के साथ संलग्न दस्तावेज आदि की प्रतिलिपि चाही गई है। आप द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ उक्त दिनांकित पत्रों की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की हैं, जिन पर न तो किसी भी अधिकारी का मार्क्ड किया गया है और न ही पत्र प्राप्ति क्रमांक/दिनांक अंकित है एवं न ही आवेदन पत्र में पत्रावली संख्या व सम्बन्धित अनुभाग का कोई उल्लेख किया गया है। आवेदन पत्र में स्पष्ट विवरण अंकित कर भिजवावें, ताकि आपको सम्बन्धित अनुभाग से वांछित सूचना उपलब्ध कराई जा सके।........''

सहायक लोक सूचना अधिकारी ने अपने जबाव में यह भी उल्लेख किया है कि उक्तांकित पत्र के सन्दर्भ में अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना के सन्दर्भ में न तो स्पष्ट विवरण अंकित कर भिजवाया गया है और न ही वांछित सूचना हेतु स्वयं इस कार्यालय में उपस्थित हुआ है।

उक्तानुसार प्राप्त जबाब एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलान्ट द्वारा चाही गई सूचना के सन्दर्भ में पूर्ण विवरण अंकित कर नहीं भिजवाये जाने के कारण सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है। जिसमें देरी के लिए स्वयं प्रार्थी उत्तरदायी है न कि लोक सूचना अधिकारी।

3.....

जिला कलक्टर
भरतपुर

आरटीआई / अपील / 2024 / 09
बालकृष्ण यादव बनाम अति० जिला कलक्टर (प्रशा.) भरतपुर

अतः लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर कोई सूचना लम्बित नहीं होने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है, निर्णय की प्रति अपीलान्ट को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति सहित) प्रेषित हो। आदेश की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (भू0अ0) कलक्ट्रेट भरतपुर को प्रेषित हो। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर